न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

प्रार्थना पत्र संख्या– 10/2023 दायर तारीखः–01.02.2023

1–नन्दाराम पुत्र सेडू

2–सागरमल पुत्र पेमाराम

समस्त जाति जाट निवासी डूंगरी कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1–हनुमान पुत्र बुद्धाराम

2–राजू पुत्र लक्ष्मण

3–महिपाल पुत्र लक्ष्मण

4–श्योपाल पुत्र पेमाराम

समस्त जाति जाट निवासी डूंगरी कंला तहसील जोबनेर जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955

उपस्थितः– 1. श्री चन्दन सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

2. श्री इलियास बाबू, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4

–:निर्णयः– दिनांकः–20.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 दिनांक 01/02/2023 को प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 पेश किया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 345 रकबा 0.0632 है0, ख0नं0 346 रकबा 0.6323 है0, ख0नं0 349 रकबा 0.6828 है0, ख0नं0 409 रकबा 1.3404 है0, ख0नं0 410 रकबा 0.7713 है0, ख0नं0 413/1 रकबा 3.2877 है0, ख0नं0 413/2 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 413/3 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 413/4 रकबा 0.0126 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.8155 है0 वाकै ग्राम डूंगरी कलां पटवार हल्का डूंगरी कलां तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी वादीगण की खातेदारी

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

में दर्ज है। आराजी ख0नं0 408 रकबा 2.2508 है0 वाकै ग्राम डूंगरी कलां में वादी सं0 2 का 103/178 हिस्सा है। आराजी ख0नं0 414 रकबा 2.3520 है0, ख0नं0 421 रकबा 1.9726 है0 किता 2 कुल रकबा 4.3246 है0 वाकै ग्राम डूंगरी कलां, पटवार हल्का डूंगरी कंला भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में वादी सं0 2 का 1/2 हिस्सा है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादीगण की प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण के हक व हिस्से की उपरोक्त आराजीयात से प्रतिवादी का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की आराजीयात पर नाजायज कब्जा करने की गरज से आयेदिन वादीगण के हक व हिस्से की भूमि पर लगी कच्ची डोल/सींव मेड को तोडते रहते है और अपनी जमीन में मिलाने का प्रयास करते रहते है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है। जिस पर वादीगण ने कई बार इनको ऐसा करने से रोका। वादीगण की उक्त आराजीयात के पडौसी प्रतिवादीगण है जिनकी नियत में फितूर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण नाजायज रूप से वादीगण के हक व हिस्से की जमीन पर कब्जा करके वादीगण का बेदखल करना चाहते है। इसी आशय से दिनांक 21/1/2023 को प्रतिवादीगण ने एक राय होकर वादीगण के हक व हिस्से की भूमि पर लगी कच्ची डोल/सींव मेड को तोडना चालू किया तभी वादीगण ने उनको ऐसा करने से रोका तो प्रतिवादीगण उग्र होकर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तब मौतविर लोगो ने प्रतिवादीगण को समझाया लेकिन प्रतिवादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे आयंदा वादीगण के हक व हिस्से की उपरोक्त आराजीयात में नाजायज रूप से कब्जा करके अपनी जमीन में मिला लेगे और वादीगण को बेदखल कर देगे। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की आराजीयात में नाजायज रूप से कब्जा कर वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा तथा वादीगण के वैधानिक हक व अधिकार प्रभावित होगे तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी व कानूनी पेचीदगियाँ उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

.....3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही वादीगण की उपरोक्त आराजीयात में लगी कच्ची डोल/सींव मेड को तोडे, ना ही अपनी आराजीयत में मिलाये ओर ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि वादीगण की जमीन में करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये पंजिकृत डाक से करवाये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इलियास बाबू उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मिनजानिब अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से निम्न प्रकार पेश हैं– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी खसरा नंबर 345, 346, 349, 409, 410, 413/1,413/2, 413/3, 413/4, किता 9 कुल रकबा 6.8155 हैक्टेयर एंव खसरा नंबर 408, 414 किता 2 कुल रकबा 4.3246 हैक्टेयर एंव खसरा नंबर 414, 421 किता 2 कुल रकबा 4.3246 हेक्टेयर वाकै ग्राम डूंगरी कला पटवार हल्का डूंगरी कला गि0ह0 करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित होना एंव मुताबिक जमाबदी मे दर्ज अनुसार खातेदारी अंकित होना स्वीकार है। वादीगण की खातेदारी की आराजी एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात के मध्य खसरा नंबर 417/1 रकबा 0.2023 हेक्टेयर गे0मु0रास्ता है जो राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे रास्ता अंकित है। ऐसी स्थिति मे वादीगण के हक व हिस्से की आराजीयात पर नाजायज कब्जा करने एंव कच्ची डोल सींव मेड को तोडने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, वादीगण ने स्वंय ने खसरा नंबर 414 एंव 419 के मध्य रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करते हुये रास्ता बंद कर रखा है। दिनांक 14/11/2022 को श्रीमान तहसीलदारजी तहसील जोबनेर के आदेशानुसार सीमाज्ञान हेतू गठित कमेठी ने सीमाज्ञान किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी रास्ता मे अवरोध होने का तथ्य जाहिर है। मिन प्रतिवादीगण ने न तो वादीगण के खातेदारी की भूमि पर कब्जा किया न सींव मेड तोडने की कार्यवाही की वादीगण ने समस्त आरोप प्रतिवादीगण पर मिथ्या लगाये है। आराजी खसरा नंबर 414 एंव 419 के मध्य खसरा नंवर 417/1 गै0मु0 रास्ता है वादीगण ने स्वंय गै0मु0रास्ता खसरा नबर 417/1 की भूमि दबाते हुये नाजायज कब्जा कर रखा है। दिनांक 21/1/2023 का तथ्य वादीगण ने महज वाद पेश करने की गरज से गलत अंकित किये है। प्रतिवादीगण ने न तो वादीगण की भूमि पर लगी डोल को तोडने की चेष्टा की न कब्जा करने की चेष्टाकी अपितु वादीगण द्वारा स्वंय रास्ते की जमीन दबा रखी है एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

.....4

की भूमि पर कब्जा करने की चेष्टा करते है इसी गरज से यही वाद गलत तथ्यो पर पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सरसरी तोर पर खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण ने अपनी जमीन के साथ साथ रास्ते की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रास्ते को अवरोध कर रखा है जिसे हटवाने की कार्यवाही की जा रही है उससे बचने की गरज से मिथ्या आधारो पर स्थगन जारी कराने की नियत से यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सरसरी तोर पर खारिज किए जाने योग्य है।

आराजी खसरा नंबर 345, 346, 349, 409, 410, 413/1,413/2, 413/3, 413/4, किता 9 कुल रकबा 6.8155 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 408, 414 किता 2 कुल रकबा 4.3246 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 414, 421 किता 2 कुल रकबा 4.3246 हेक्टेयर वाके ग्राम डूंगरी कला पटवार हल्का डूंगरी कला गि0ह0 करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसके पूर्व मे उतर से दक्षिण ग्राम पंचायत डूंगरी कला के राजस्व ग्राम डूंगरी कला का मुख्य रास्ता मठ से सुण्डो की ढाणी तक जाता है जो खसरा नंबर 417/1 है जो रास्ता रेकार्ड मे व राजस्व नक्शे मे गै0मु0 रास्ता अंकित है। जिसका आम जनता व खातेदारान उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण ने उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिस बाबत ग्राम पंचायत डूंगरी कला द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के यंहा अपने पत्र कमांक ग्रा0पं0/2022–23/1 दिनांक 18/10/2022 को खसरा नंबर 417/1 गे0मु0 रास्ते का अतिक्रमण हटवाने बाबत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदारजी तहसील जोबनेर को मोके से नियमानुसार अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 19/10/2022 को पारित किया जिस पर तहसीलदारजी जोबनेर ने अपने आदेश कमांक राजस्व/2022/1030 दिनांक 19/10/2022 के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक करणसर एंव पटवारी हल्का डूंगरी कला को प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो की जांच करने एंव अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार हटवाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना मे गिरदावर हल्का एंव पटवारी हल्का द्वारा कार्यवाही की जाने पर वादीगण द्वारा रास्ते की भूमि मे किये गये अतिक्रमण को कायम रखने की गरज से प्रतिवादीगण जो पडोसी काश्तकार है जिनकी भूमि रास्ते के पूर्व दिशा मे खसरा नंबर 419,420 है के विरूद्ध मिथ्या आधारो पर वाद व दरख्वास्त पेश की है जब कि प्रतिवादीगण ने न तो वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत की न सींव मेड तोडने की कार्यवाही की क्योकि वादीगण की आराजी एंव प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य खसरा नंबर 417/1 गै0मु0रास्ता है। जिस पर स्वंय

.....5

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वादीगण ने नाजायज अतिक्रमण कर रास्ता अवरोध कर रखा है जिसे हटवाने संबंधी कार्यवाही तहसील के व श्रीमान उपखण्ड अधिकारीजी के आदेशनुसार अमल मे लाई जा रही है जिससे बचने की गरज से यह वाद व दरख्वास्त पेश की है तहसीलदारजी तहसील जोबनेर के आदेश क्रमांक राजस्व/रास्ता/ 2022/1095 दिनाक 11/11/2022 की पालना मे दिनांक 14/11/2022 को पटवारीहल्का गिरदावर हल्का एंव नायब तहसीलदारजी जोबनेर द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही की गयी किन्तु मोके पर फसल होने से सीमाज्ञान की कार्यवाही नही की जा सकी एंव खसरा नम्बर 417/1 गै0मु0रास्ता मोके पर खसरा नंबर 414 व 419 के मध्य पूर्णतया बंद होना अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है उक्त रास्ते का अवरोध प्रशासनिक स्तर पर हटवाने की कार्यवाही की जा रही है चूंकि वादीगण ने स्वंय ने रास्ते की जमीन दबा रखी है जिससे बचने की गरज से यह वाद व दरख्वास्त पेश की है तहसील जोबनेर द्वारा खसरा नंबर 417/1 गै0मु0रास्ता की सीमाज्ञान हेतू गिरदावर हल्का करणसर की अध्यक्षता मे राजस्व टीम का गठन कर सीमाज्ञान की कार्यवाही की गयी किन्तु सीमाज्ञान मे विवाद होने के कारण व सीमाज्ञान के समय औरतो को आगे कर देने के कारण सीमाज्ञान हेतु गठीत कमेटी ने पुलिस ईमदाद मांगी जिस पर श्रीमान तहसीलदारजी तहसील जोबनेर के आदेश क्रमांक राजस्व/2023–301 दिनांक 04/04/2023 को श्रीमान पुलिस उपअधिक्षक महोदय जोबनेर को रास्ता खसरा नंबर 417/1 की सीमाज्ञान के समय 6 पुरूष एंव 5 महिला पुलिस का जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतू पत्र जारी किया था जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है व रास्ते कां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे बचने की गरज से व प्रशासनिक कार्यवाही मे रूकावट डालने एंव रास्ते की भूमि पर कब्जा कायम रखने की गरज से यह वाद पेश किया गया है अगर वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तो वह अपने नाजायज उदेश्य मे सफल हो जायेगा जिससे रास्ते का अवरोध नही हटा सकेगे जिससे प्रतिवादीगण व आम जनता के हितो का कुठाराघात होगा। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर न तो कोई कब्जा किया न कोई सींव मेड तोड फोड की। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य रास्ते की भूमि है ऐसी स्थिति मे सींव मेड तोडने का प्रशन ही पेदा नही होता है। वादीगण खूखार प्रकृति के है उनके परिवार जनो ने उक्त भूमि के कब्जे बाबत अनेक बार विवाद किये जिस बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने मे समय समय पर दी जा चुकी है। वादीगण बलपूर्वक रास्ते पर कब्जा कायम रखना चाहते है। । प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर ही काबिज काश्त है वादीगण की भूमि पर न तो कब्जा करने की चेष्टा की न सींव मेड तोडने की कार्यवाही की

.....6

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अगर मिन प्रतिवादीगण को पांबद किया गया तो पांबदी की आड मे वादीगण मिन प्रतिवादीगण को बेदखल करने की चेष्टा करेगे वादीगण ने महज मिन प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से मिथ्या आधारो पर वाद व दरख्वास्त दायर की है जो सरसरी तोर पर खारिज योग्य है। वादीगण क्लिन हैण्ड से अदालत के समक्ष नहीं आये है वास्तविक तथ्य छिपाते हुये मिथ्या आधारो पर यह वाद व दरख्वास्त पेश की है जो सरसरी तोर पर खारिज योग्य है। मिन प्रतिवादी हरजा खास वादीगण से पाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र वादीगण मय हरजा खरचा खारिज फरमाया जाकर विशेष हरजा खरचा वादीगण से मिन प्रतिवादीगण को दिलाया जावें। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज पेश किए गये जिनमें नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी खसरा नं0 417/1, जमाबन्दी खसरा नं0 420,419, फोटो प्रति फर्द रिपोर्ट दिनांक 14/11/2022 की फोटो प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए विधि के सुस्थापित तीन बिन्दूओं पर विचार करना होता हैः—

1 **प्रथम दृष्टया मामला**

2 **सुविधा का संतुलन**

3 **अपूर्णीय क्षति**

1— **प्रथम दृष्टया मामलाः—**

दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही वादीगण की उपरोक्त आराजीयात में लगी कच्ची डोल/सींव मेड को तोडे, ना ही अपनी आराजीयत में मिलाये ओर ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि वादीगण की जमीन में करें की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निर्णीत करते हुए अप्रार्थीगणों को पाबंद फरमाया जावें। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों दौहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 345 रकबा 0.0632 है0, ख0नं0 346 रकबा 0.6323 है0, ख0नं0 349 रकबा 0.6828 है0, ख0नं0 409 रकबा 1.3404 है0, ख0नं0 410 रकबा 0.7713 है0, ख0नं0 413/1 रकबा 3.2877 है0, ख0नं0 413/2 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 413/3 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 413/4 रकबा 0.0126 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.8155

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है0 भूमि वाकै ग्राम डूंगरी कलां पटवार हल्का डूंगरी कलां तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। आराजी ख0नं0 408 रकबा 2.2508 है0 वाकै ग्राम डूंगरी कलां में वादी सं0 2 का 103/178 हिस्सा है। आराजी ख0नं0 414 रकबा 2.3520 है0, ख0नं0 421 रकबा 1.9726 है0 किता 2 कुल रकबा 4.3246 है0 वाकै ग्राम डूंगरी कलां, पटवार हल्का डूंगरी कंला भू0अभि0नि0क्षेत्र करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में वादी सं0 2 का 1/2 हिस्सा है शेष हिस्सा है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदार के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादीगण की प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण के हक व हिस्से की उपरोक्त आराजीयात से प्रतिवादी का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की आराजीयात पर नाजायज कब्जा करने की गरज से आयेदिन वादीगण के हक व हिस्से की भूमि पर लगी कच्ची डोल/सींव मेड को तोडते रहते है और अपनी जमीन में मिलाने का प्रयास करते रहते है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है। जिस पर वादीगण ने कई बार इनको ऐसा करने से रोका। वादीगण की उक्त आराजीयात के पडौसी प्रतिवादीगण है जिनकी नियत में फितूर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण नाजायज रूप से वादीगण के हक व हिस्से की जमीन पर कब्जा करके वादीगण को बेदखल करना चाहते है। इसी आशय से दिनांक 21/1/2023 को प्रतिवादीगण ने एक राय होकर वादीगण के हक व हिस्से की भूमि पर लगी कच्ची डोल/सींव मेड को तोडना चालू किया तभी वादीगण ने उनको ऐसा करने से रोका तो प्रतिवादीगण उग्र होकर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तब मौतविर लोगो ने प्रतिवादीगण को समझाया लेकिन प्रतिवादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे आयंदा वादीगण के हक व हिस्से की उपरोक्त आराजीयात में नाजायज रूप से कब्जा करके अपनी जमीन में मिला लेगे और वादीगण को बेदखल कर देगे। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की आराजीयात में नाजायज रूप से कब्जा कर वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा तथा वादीगण के वैधानिक हक व अधिकार प्रभावित होगे तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी व कानूनी पेचीदगियाँ उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

.....8

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए अप्रार्थीगणों द्वारा कहा की आराजी खसरा नं0 417/1 राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक खाते मे गै0मु0 रास्ता दर्ज है। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते के दूसरी ओर स्थित है जिससे अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध कारित नहीं की जा रही है। सीमाज्ञान एवं रास्ता खुलासा तहसीलदार की कार्यवाही को बाधित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है समस्त तथ्य प्रार्थीगण ने झूठे एवं मनघडंत अंकित किए है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जावे।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन–मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 417/1 गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मु0 रास्ते के एक तरफ प्रार्थीगण की एवं दूसरी ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। दोनो पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में बनना पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षतिः–

सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दूओं पर एक साथ ही विचारण किया जा रहा है। प्रकरण में बिन्दू सं0 1 प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। प्रार्थीगण को उनकी भूमि के उपयोग–उपभोग करने से यदि रोका गया या रूकावट पैदा की गयी तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं असुविधा होगी। जिसका भुगतान मुद्रा से नहीं किया जा सकता। सम्पति का सदुपयोग नहीं हो पाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी,साथ ही यदि वस्तुस्थिति/मौका स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा यदि परिवर्तन किया जाता है तो वाद बाहुलता बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को साम्पतिक अधिकारों की क्षति होने की पूरी संभावना होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः दोनों बिन्दू सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है।

–:आदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पावंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नं0 खसरा नंबर 345, 346, 349, 409, 410, 413/1,413/2, 413/3, 413/4, किता 9 कुल रकबा 6.8155 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 408, 414 किता 2 कुल रकबा 4.3246 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 414, 421 किता 2 कुल रकबा 4.3246 हेक्टेयर वाकै ग्राम डूंगरी कला पटवार हल्का डूंगरी कला गि0ह0 करणसर तहसील

.....9

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

जोबनेर जिला जयपुर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात में लगी कच्ची/सींव मेड को तोडे, ना ही अपनी आराजीयात में मिलाये ओर ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि प्रार्थीगण की जमीन में करें। ग्राम डूंगरी कलां के सिवायचक खाते में दर्ज खसरा नं0 417/1 रकबा 0.2023 है0 गै0 मु0 रास्ता भूमि का सीमाज्ञान करने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार जोबनेर स्वतंत्र रहेंगें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार जोबनेर को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर सत्यमेव जयते

20/4/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर